संख्याः 530 /XII (1)/15–82(09)/2014

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक : 27 मार्च, 2015

विषय :– वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनागत पक्ष में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 1974/XII(1)-2014-82(3)/2014, दि॰ 26.08.2014 के माध्यम से पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्याः 19, 30 एवं 31 के अंतर्गत कुल रू॰ 725.94 लाख (रू॰ सात करोड़ पच्चीस लाख चौरानबे हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। अनुदान संख्याः 31 के लेखाशीर्षक–2515–00–796–03–42 में प्राविधानित धनराशि रू॰ 70 लाख के सापेक्ष रू॰ 37.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। अवशेष धनराशि रू॰ 32.50 लाख को स्वीकृत करते हुए संलग्नक अलॉटमेंट आई॰डी॰ संख्याः S1503310502 के माध्यम से व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश दि॰ 13.06.2005 द्वारा "क्षेत्र पंचायत विकास निधि" हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त–पुस्तिका की नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rule, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) का अनुपालन किया जायेगा।

4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 318/XXVII(1)/2014, दि॰ 18.03.2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6. सामग्री का क्रया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आगणनों डिजायन का परीक्षण सक्षम स्तर से अनुमोदित हो।

7. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दि॰ 31.03.2015 तक कर लिया जायेगा यदि उक्त तिथ तक कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

2— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 में अनुदान संख्याः 31 के अंतर्गत वर्णित लेखाशीर्षक की प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त अनुभाग—1 के शासनादेश संख्याः— 318/XXVII(1)/2014, दि॰ 18.03.2014 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः— अलॉटमेंट आई॰डी॰ संख्याः— S1503310502।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या : /XII (1)/15—82(03)/2014, तद्दिनाँकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23—लक्ष्मीरोड, देहरादून।
4. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन।
9. ए॰आई॰सी॰, सचिवालय परिसर।
10. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग—4), उत्तराखण्ड शासन।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।